वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

सन्दर्भ: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संपूर्ण प्रस्तावित संशोधन विधेयक को इसके विवादास्पद प्रावधानों की समीक्षा के लिए गठित एक संसदीय समिति द्वारा समर्थन दिया गया है।

- प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य बढ़े हुए वृक्षारोपण के माध्यम से वन कार्बन स्टॉक को बढ़ावा देना है।
- विधेयक प्रतिपूरक वनरोपण के लिए भूमि आवंटित करने का प्रयास करता है।

पृष्ठभूमि

- **स्वतंत्रता के पश्चात्:**
  - विशाल वन क्षेत्रों को आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में नामित किया गया है।
  - कुछ वन क्षेत्रों को बाहर रखा गया, जबकि गैर-वन क्षेत्रों को 'वन' भूमि के रूप में शामिल किया गया।
- **1996 सुप्रीम कोर्ट का फैसला:**
  - पेड़ों की कटाई पर राष्ट्रव्यापी रोक।
  - वन संरक्षण अधिनियम दर्ज 'वन' भूमि या जंगल के शब्दकोशीय अर्थ से मिलती-जुलती भूमि पर लागू होता है।
- **जून 2022 वन संरक्षण नियम संशोधन:**
  - गैर-एफसी अधिनियम लागू भूमि पर वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए डेवलपर्स के लिए प्रस्तावित तंत्र।
  - भविष्य की प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे भूखंडों की अदला-बदली का प्रावधान।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में प्रस्तावित परिवर्तन

- **अधिनियम की प्रस्तावना:**
  - वनों, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की देश की परंपरा को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्तावना सम्मिलित करें।
- **वन में गतिविधियों पर प्रतिबंध:**
  - यह अधिनियम वर्तमान में वनों के आरक्षण और वन भूमि के गैर-वन उपयोग पर रोक लगाता है।
  - प्रस्तावित परिवर्तनों में प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची का विस्तार किया गया है:
    - वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वन क्षेत्रों (संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर) में चिड़ियाघर और सफारी।
    - इको-पर्यटन सुविधाएं।
    - सिल्वीकल्चरल गतिविधियाँ (वन विकास को बढ़ाना)।
    - केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य।
- **अधिनियम के दायरे में भूमि:**
  - यह अधिनियम दो प्रकार की भूमि पर लागू होगा:
    - भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित/अधिसूचित भूमि।
    - सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद भूमि को जंगल के रूप में अधिसूचित किया गया हो।
  - 12 दिसंबर, 1996 से पहले वन से गैर-वन उपयोग में परिवर्तित भूमि, यदि किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अधिकृत है, तो अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगी।
- **दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति:**
  - केंद्र सरकार, केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्राधिकरणों/संगठनों को अधिनियम कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

- **छूट:**
  - अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के 100 किमी के भीतर राष्ट्रीय महत्व की और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रणनीतिक परियोजनाओं को छूट दी गई है।
  - 10 हेक्टेयर तक के "सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे" को छूट दी गई है।
  - छूट दी गई अतिरिक्त गतिविधियों में शामिल हैं:
    - सिल्वीकल्चरल गतिविधियाँ।
    - चिड़ियाघरों और वन्यजीव सफ़ारियों का निर्माण।
    - इको-पर्यटन सुविधाएं।
    - केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधियाँ।

वैश्विक शांति सूचकांक 2023

सन्दर्भ: इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने हाल ही में 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स (जीपीआई) जारी किया है, जिसमें दुनिया भर के सबसे शांतिपूर्ण देशों की रैंकिंग की गई है।

मुख्य बातें:

- **वैश्विक शांति का ह्रास:** वैश्विक शांति के औसत स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में 0.42% की गिरावट आई। हालांकि, अधिकांश देशों ने अपनी शांति के गिरते स्तर में तुलनात्मक रूप से सुधार किया है।
- **संघर्ष संबंधी मौतों में वृद्धि:** संघर्ष से संबंधित मौतों की कुल संख्या में 96% की वृद्धि हुई।
- **हिंसा की वैश्विक आर्थिक लागत:** हिंसा की वैश्विक आर्थिक लागत वर्ष 2022 में $17.5 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 12.9% या प्रति व्यक्ति $2,200 के बराबर है।
- **सबसे शांतिपूर्ण देश:** आइसलैंड ने 2008 से सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में अपना स्थान बनाए रखा है, इसके बाद डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया का स्थान है।
- **सबसे कम शांतिपूर्ण देश:** अफगानिस्तान लगातार आठवें वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, इसके बाद यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं।
- **भारत की रैंकिंग:** भारत इस रैंकिंग में दो पायदान ऊपर उठकर 126 वें स्थान पर पहुंच गया है।
- **भारत में सकारात्मक प्रगति:** रिपोर्ट में हिंसक अपराध में कमी, पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंधों और राजनीतिक अस्थिरता में कमी जैसे कारकों के कारण भारत की समग्र शांति में 3.5% सुधार पर ध्यान दिया गया है।
- **अन्य देशों की रैंकिंग:** नेपाल, चीन, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान क्रमशः 79वें, 80वें, 107वें, 131वें और 146वें स्थान पर हैं।
- **सूचकांक में सुधार और गिरावट:** सभी 23 जीपीआई संकेतकों में से दस संकेतकों में सुधार हुआ, 11 में गिरावट आई और दो अपरिवर्तित रहे। संघर्ष-संबंधी आंकड़ों में बाहरी संघर्ष ज्यादा हुए और आंतरिक संघर्ष से मौतें सबसे बड़ी गिरावट वाले संकेतक थे, जिसके बाद राजनीतिक अस्थिरता आई। सबसे बड़े सुधार दिखाने वाले संकेतक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना निधि और सैन्य व्यय थे।

वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में

- ग्लोबल पीस इंडेक्स (जीपीआई) इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (आईईपी) द्वारा तैयार किया जाता है और यह वैश्विक शांति के अग्रणी उपाय के रूप में कार्य करता है।
- यह रिपोर्ट शांतिपूर्ण समाजों के निर्माण के लिए शांति प्रवृत्तियों, आर्थिक मूल्य और रणनीतियों पर एक व्यापक और डेटा-संचालित विश्लेषण प्रदान करती है।

- GPI दुनिया की 99.7% आबादी को कवर करता है और प्रतिष्ठित स्रोतों से 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों का उपयोग करता है।
- यह सूचकांक तीन क्षेत्रों में शांति को मापता है:
  - सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा
  - चल रहे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष
  - सैन्यीकरण.

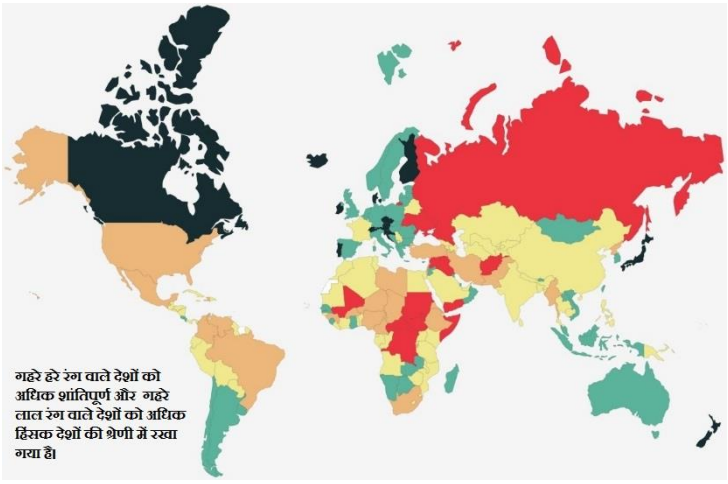

इकोनॉमिक्स एवं पीस संस्थान (आईईपी)

- **संगठन:** स्वतंत्र, गैर-पक्षपातपूर्ण, गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन।
- **स्थापना:** वर्ष 2007 में स्थापित.
- **मुख्यालय:** सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य शांति, अर्थशास्त्र और जन कल्याण के बीच संबंधों की समझ को बढ़ावा देना है।
- **विश्वव्यापी पहुँच:** यह संस्थान विश्व स्तर पर काम करता है और दुनिया भर में अनुसंधान और विश्लेषण करता है।
- **इसके द्वारा जारी प्रमुख रिपोर्ट:**
  - वैश्विक शांति सूचकांक (जीपीआई)
  - वैश्विक आतंकवाद सूचकांक
  - सकारात्मक शांति रिपोर्ट
  - सुरक्षा धारणा रिपोर्ट
  - पारिस्थितिक खतरा रिपोर्ट

नोट: ध्येय आईएएस रिपोर्ट में दिए गए भारत के नक्शे से सहमत नहीं हैं। छवि केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्य के लिए है और मूल रिपोर्ट से ली गई है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

सन्दर्भ: रेनट्री फाउंडेशन, पश्चिमी घाट में जलवायु लचीलेपन पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी संस्था, ने बीएसई सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर हाल ही में अपना पंजीकरण कराया है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) निवेशकों को सामाजिक उद्यमों या पहलों में निवेश करने की अनुमति देता है।
- केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रस्तावित, एसएसई का लक्ष्य सेबी के अधिकार क्षेत्र के तहत एक स्टॉक एक्सचेंज बनाना है।
- SEBI ने SSE स्थापना शुरू करने के लिए 2019 में इशात हुसैन की अध्यक्षता में एक समूह का गठन किया।
- वर्ष 2020 में, SEBI ने विशेषज्ञ सलाह के लिए हर्ष भानवाला के नेतृत्व में तकनीकी समूह (TG) की स्थापना की।
- एसएसई पूंजी को निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्र के प्रदाताओं तक पहुंचाता है।
- एसएसई सिंगापुर और यूके जैसे देशों में भी मौजूद है, जो सामाजिक क्षेत्र की कंपनियों को जोखिम पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर पंजीकरण के लिए पात्रता:

- गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) और लाभकारी सामाजिक उद्यम (एफपीएसई) जो सामाजिक इरादे को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें सामाजिक उद्यम (एसई) के रूप में मान्यता दी जाती है।

- एसएसई मानदंडों को पूरा करने वाले सामाजिक उद्यम एसएसई पर पंजीकरण या लिस्टिंग के लिए पात्र हैं।
- एनपीओ निजी प्लेसमेंट या सार्वजनिक निर्गम के साथ-साथ म्यूचुअल फंड से दान के माध्यम से जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) उपकरण जारी करके धन जुटा सकते हैं।

जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (ZCZP) उपकरण

- जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल (जेडसीजेडपी) उपकरण जारी करने वाले गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) इकाई के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है।
- वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 के तहत ZCZP उपकरणों को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) इन उपकरणों को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम स्थापित करेगा।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

एंटरोवायरस

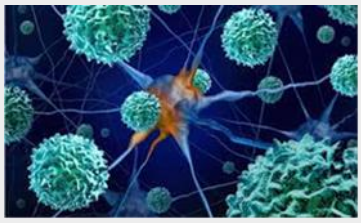

सन्दर्भ : हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कई यूरोपीय देशों में एंटरोवायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की थी।
एंटरोवायरस: एंटरोवायरस वायरस का एक समूह है जो पिकोर्नविरिडे परिवार से संबंधित है। वे छोटे, एकल-संबद्ध आरएनए वायरस हैं जो मनुष्यों में संक्रामक बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला का कारण बन सकते हैं।
प्रकार: एंटरोवायरस में कॉक्ससैकीवायरस, इकोवायरस, पोलियोवायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस शामिल हैं।
संचरण: एंटरोवायरस कई मार्गों से प्रसारित हो सकता है, जिसमें मातृ रक्त, स्राव या मल के संपर्क से संचरण, साथ ही संक्रमित देखभाल करने वालों के निकट संपर्क से प्रसवोत्तर संचरण शामिल है।
लक्षण: सामान्य लक्षणों में बुखार, हल्की सर्दी के लक्षण (जैसे नाक बहना, छींक आना, खांसी) और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं।
उपचार: एंटरोवायरस संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। जब तक संक्रमण अपना असर नहीं दिखाता तब तक लक्षणों को प्रबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें आम तौर पर कुछ दिन लगते हैं।

अन्नपूर्ति (द ग्रेन एटीएम)

सन्दर्भ : हाल ही में, विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) भारत ने 'राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन' के दौरान एक स्वचालित मल्टी-कमोडिटी अनाज वितरण मशीन अन्नपूर्ति का प्रदर्शन किया।
अन्नपूर्ति क्या है?
अन्नपूर्ति डब्ल्यूएफपी इंडिया द्वारा विकसित एक अनाज एटीएम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को सब्सिडी वाले अनाज का तेज़ और सटीक वितरण प्रदान करता है। यह स्वचालित बहु-वस्तु वितरण प्रदान करता है, जिससे चावल, गेहूं और अनाज जैसी वस्तुओं तक कुशल पहुंच सुनिश्चित होती है।
विशेषताएं: अन्नपूर्ति लाभार्थियों को 24x7 पहुंच प्रदान करती है, बिखराव, बर्बादी और वजन की हेरा फेरी को समाप्त करती है। यह न्यूनतम त्रुटि के साथ पांच मिनट के भीतर 50 किलोग्राम तक अनाज का वितरण कर सकती है।
लाभ:

- **खाद्य सुरक्षा:** अन्नपूर्ति सब्सिडी वाले अनाज का त्वरित वितरण सुनिश्चित करती है, नुकसान को रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों को उनके हक प्राप्त हो।
- **आपातकालीन वितरण:** अन्नपूर्ति आपात स्थिति के दौरान खाद्यान्न के कुशल और समय पर वितरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे शारीरिक श्रम और त्रुटियां कम हो जाती हैं।
- **किसानों के लिए बाज़ार पहुंच:** अन्नपूर्ति छोटे किसानों के लिए बाज़ार पहुंच का विस्तार करती है, एक विश्वसनीय वितरण चैनल प्रदान करती है और बिचौलियों को कम करती है।

आईएनएस विक्रांत

सन्दर्भ: हाल ही में, भारतीय नौसेना ने फ्रांस से तीन अतिरिक्त कालवेरी श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ-साथ आईएनएस विक्रांत के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू विमानों को खरीदने की अपनी योजना की घोषणा की है।
आईएनएस विक्रांत: आईएनएस विक्रांत (IAC-I) भारतीय नौसेना के लिए केरल के कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड (CSL) द्वारा निर्मित भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है। इसका निर्माण 2009 में शुरू हुआ था।
आदर्श वाक्य: "जयेम सं युधि स्पृधः" जिसका अर्थ है "मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं।"
एयर विंग: आईएनएस विक्रांत को मिग-29के/केयूबी मल्टीरोल लड़ाकू विमानों और विभिन्न उपयोगिता हेलीकॉप्टरों सहित विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड-विंग विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जाने और संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

	लंबाई: 262 मीटर, चौड़ाई: 62 मीटर, गहराई: 30 मीटर (अधिरचना को छोड़कर)। इसमें 14 डेक शामिल हैं, जिनमें अधिरचना में पांच शामिल हैं। **प्रणोदन:** दो शाफ्ट पर चार जनरल इलेक्ट्रिक LM2500+ गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित, 80 मेगावाट (110,000 एचपी) से अधिक बिजली पैदा करता है।
एम्बरग्रीस 	**सन्दर्भ :** हाल ही में, वैज्ञानिकों को कैनरी द्वीप समूह के ला पाल्मा में नोगेल्स समुद्र तट पर एक मृत स्पर्म व्हेल के अंदर 9.5 किलोग्राम मूल्य का "फ्लोटिंग गोल्ड" मिला है। **एम्बरग्रीस क्या है?** एम्बरग्रीस एक मोमी पदार्थ है जो संरक्षित शुक्राणु व्हेल के पाचन तंत्र में बनता है। यह एक मूल्यवान पदार्थ है जिसे अक्सर "तैरता हुआ सोना" कहा जाता है। **गठन:** ऐसा माना जाता है कि एम्बरग्रीस का उत्पादन शुक्राणु व्हेल के जठरांत्र संबंधी मार्ग में भोजन के दौरान निगली गई कठोर वस्तुओं को पारित करने में सहायता के लिए किया जाता है। **उपयोग और दुर्लभता:** एम्बरग्रीस को उसके मस्की नोट्स के लिए परफ्यूम उद्योग में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से इसका उपयोग कुछ संस्कृतियों में भोजन, पेय पदार्थों और तम्बाकू का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता था। इसकी दुर्लभता वैश्विक बाजार में इसकी मांग और मूल्य में वृद्धि करती है। **भारत में कानूनी प्रतिबंध:** संरक्षित शुक्राणु व्हेल से प्राप्त एम्बरग्रीस और इसके उप-उत्पादों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में रखने और व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
समाचार में स्थान **ताकेशिमा द्वीप (डोकडो/ताकेशिमा)**	**संदर्भ:** सन्दर्भ : हाल ही में जापान ने विवादित ताकेशिमा द्वीप पर दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास का विरोध किया है। **भौगोलिक स्थिति:** ताकेशिमा द्वीप जापान सागर के मध्य में स्थित है, जो कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच लगभग समान दूरी पर है। **विवादित क्षेत्र:** यह द्वीप जापान और दक्षिण कोरिया के बीच क्षेत्रीय विवाद के अधीन है। जापान इसे ताकेशिमा के नाम से संदर्भित करता है, जबकि दक्षिण कोरिया इसे डोकडो कहता है। **ऐतिहासिक नामकरण:** 1849 में फ्रांसीसी व्हेलर्स द्वारा अपने जहाज के नाम पर इस द्वीप का नाम लियानकोर्ट रॉक्स रखा गया था। **द्वीप संरचना:** ताकेशिमा में दो मुख्य द्वीप और लगभग 30 छोटी चट्टानें हैं। **सैन्य अभ्यास:** हाल ही में, जापान ने विवादित ताकेशिमा द्वीप समूह पर दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास पर दक्षिण कोरिया के समक्ष विरोध दर्ज कराया है।